

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †3005
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आईटीडीसी के साथ समझौता-ज्ञापन

†3005. श्री संगम लाल गुप्ता:

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:

श्री बृजभूषण शरण सिंह:

श्री पी.पी. चौधरी:

श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी:

श्री अनुराग शर्मा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरीज्म) को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2015 से भारत में चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से अर्जित कुल राजस्व का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में चिकित्सा के प्रयोजन से की जाने वाली यात्रा को बढ़ावा देने के लिए अन्य कदम उठाए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी नहीं, महोदय । पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा पर्यटन के संबंध में भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं । तथापि यह उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद तथा अन्य परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू पर्यटन के संवर्धन के लिए निर्दिष्ट आईटीडीसी होटलों में आयुष केंद्रों की स्थापना हेतु आयुष मंत्रालय और आईटीडीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) : पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यटन से सृजित राजस्व के संबंध में डाटा तैयार नहीं किया जाता है ।

(ग) और (घ) : देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा तथा निरोगता पर्यटन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप तैयार किया है । इस कार्यनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों को चिह्नित किया गया है :

- (i) निरोगता गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड विकसित करना
- (ii) चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन के लिए ईको सिस्टम को मजबूत बनाना
- (iii) ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पोर्टल की स्थापना द्वारा डिजिटलीकरण को संभव बनाना
- (iv) मेडिकल वैल्यू के लिए पहुंच में वृद्धि करना
- (v) निरोगता पर्यटन का संवर्धन करना
- (vi) शासन एवं संस्थागत कार्यवाही
